उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या: 10/2025/567/94-2-2025-700(25)/2025
लखनऊ, दिनांक : 08 मई, 2025

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, जिला अयोध्या में स्थित तथा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के विकास के लिए चिह्नित 203.7828 हेक्टेयर भूमि से सम्बंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख पर संदेय रू० 12,97,01,530.00 **स्टाम्प शुल्क** से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 10/2025/567(1)/94-2-2025-700(25)/2025, दिनांक : 08 मई, 2025

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 08 मई, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 10/2025/567(2)/94-2-2025-700(25)/2025, दिनांक : 08 मई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० शासन।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
5- महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
6- मण्डलायुक्त, अयोध्या उ०प्र०।
7- जिलाधिकारी, अयोध्या उ०प्र०।
8- अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) अयोध्या, उ०प्र०।
9- उप महानिरीक्षक निबंधन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या उ०प्र०।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag -2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 10/2025/567/94-2-2025-700(25)/2025, dated : 08 May, 2025

Notification
Order

No. 10/2025/567/94-2-2025-700(25)/2025
Lucknow, Dated : 08 May, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the **stamp duty** of Rs. 12,97,01,530.00 payable on the lease deed to be executed by the Government of Uttar Pradesh in favour of the Airports Authority of India relating to the 203.7828 hectares of land situated in district Ayodhya and identified for the development of Maharishi Valmiki Airport, Ayodhya.

By Order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।